Australian Government
Aged Care Quality and Safety Commission

Engage
Empower
Safeguard

आपकी बेहतरी के लिए वयोवृद्ध देखभाल (एजेड केयर) में परिवर्तन

नया वयोवृद्ध देखभाल अधिनियम (एजेड केयर एक्ट) वृद्धजनों के अधिकारों को सबसे आगे रखता है। इसमें वृद्धजनों के अधिकारों के लिए अधिकार कथन (Statement of Rights) शामिल है। ये परिवर्तन 1 नवंबर 2025 से किए गए हैं।

अधिकार कथन यह सुनिश्चित करता है कि आपको आपकी वयोवृद्ध देखभाल के केन्द्र में रखा जाए। यह आपको निम्नलिखित अधिकार देता है:

- अपने खुद के जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेना
- आपके निर्णयों को केवल स्वीकार ही न किया जाए, बल्कि उनका सम्मान भी किया जाए
- निर्णय लेने में अपनी मदद के लिए जानकारी और सहायता प्राप्त करना।
- अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं और पसंद के बारे में बताना
- सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करना
- आपकी संस्कृति एवं पहचान का सम्मान किए जाना
- अपने समुदाय से जुड़े रहना।

यदि आपको अपनी वयोवृद्ध देखभाल के बारे में चिंताएँ या शिकायत है तो वयोवृद्ध देखभाल गुणवत्ता एवं सुरक्षा आयोग (Aged Care Quality and Safety Commission) आपकी सहायता कर सकता है।

1800 951 822

agedcarequality.gov.au

info@agedcarequality.gov.au

अधिकार कथन के बारे में **और अधिक जानकारी** हमारी वेबसाइट से प्राप्त करें